

प्रेषक,

मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, सचिव (प्रभारी) उत्तराखण्ड शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए.

देहरादून: दिनांक 30 जुलाई, 2020

विषय: कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु क्रियान्वित तालाबन्दी की क्रमवार समाप्ति हेतु जारी आदेश संख्या- 385/USDMA/792(2020), दिनांक 2 जुलाई, 2020 के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक अवगत करवाना है कि तालाबन्दी (Lockdown) की क्रमवार समाप्ति (Unlock-1) हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या- 447/USDMA/792/(2020), दिनांक 17 जुलाई, 2020 में बिन्दु संख्या 3.1 में निम्नवत् प्रावधान को समावेशित करते हुये निर्देश पारित किया जाता है-

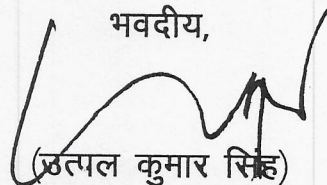
Para 3.1.

Such persons can be randomly tested for Covid-19 at the border check posts. If found positive, it shall be the responsibility of the concerned District Administration, in coordination with the Health authorities, to follow protocols as laid down by MoHFW and State Government. In case found negative, the person (*Excluding the persons exempted from quarantine as per Order No. 385/USDMA/792(2020), dated 2nd July, 2020 and 447/USDMA/792(2020), dated 17th July, 2020*) shall home quarantine herself/ himself for one week and monitor her/ his health closely. The district authorities shall also monitor such persons for her/ his health indicators.

अतः सभी सम्बन्धित उपरोक्त समस्त निर्देशों के साथ-साथ गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-40-30/2020-DM-I (A), दिनांक 29 जून, 2020 तथा राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश संख्या- 385/USDMA/792(2020), दिनांक 2 जुलाई, 2020 एवं शासनादेश संख्या: 447/USDMA/792(2020), दिनांक 17 जुलाई, 2020 के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा।

भवदीय,



(उत्तम कुमार सिंह)

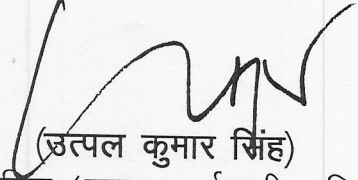
मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

01/08

संख्या: 483 /USDMA/792(2020) एवं तददिनांकित।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
4. महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद), विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
7. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित पत्रावली।


(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

o/c

प्रेषक,

मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन

एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, सचिव (प्रभारी) उत्तराखण्ड शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए.

देहरादून: दिनांक 30 जुलाई, 2020

विषय: कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु क्रियान्वित तालाबन्दी की क्रमवार समाप्ति हेतु जारी आदेश संख्या- 385/USDMA/792(2020), दिनांक 2 जुलाई, 2020 के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक अवगत करवाना है कि तालाबन्दी (Lockdown) की क्रमवार समाप्ति (Unlock-1) हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या- 447/USDMA/792/(2020), दिनांक 17 जुलाई, 2020 में बिन्दु संख्या 3.1 में निम्नवत् प्रावधान को समावेशित करते हुये निर्देश पारित किया जाता है-

Para 3.1.

Such persons can be randomly tested for Covid-19 at the border check posts. If found positive, it shall be the responsibility of the concerned District Administration, in coordination with the Health authorities, to follow protocols as laid down by MoHFW and State Government. In case found negative, the person (*Excluding the persons exempted from quarantine as per Order No. 385/USDMA/792(2020), dated 2nd July, 2020 and 447/USDMA/792(2020), dated 17th July, 2020*) shall home quarantine herself/ himself for one week and monitor her/ his health closely. The district authorities shall also monitor such persons for her/ his health indicators.

अतः सभी सम्बन्धित उपरोक्त समस्त निर्देशों के साथ-साथ गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-40-30/2020-DM-I (A), दिनांक 29 जून, 2020 तथा राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश संख्या- 385/USDMA/792(2020), दिनांक 2 जुलाई, 2020 एवं शासनादेश संख्या: 447/USDMA/792(2020), दिनांक 17 जुलाई, 2020 के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)

मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्या: 483 /USDMA/792(2020) एवं तद्दिनांकित।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
4. महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद्), विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
7. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित पत्रावली।

(उत्पल कुमार सिंह)

मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रेषक,

मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन

एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, सचिव (प्रभारी) उत्तराखण्ड शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए.

देहरादून: दिनांक 17 जुलाई, 2020

विषय: कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु क्रियान्वित तालाबन्दी की क्रमवार समाप्ति के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक अवगत करवाना है कि तालाबन्दी (Lockdown) की क्रमवार समाप्ति (Unlock-1) हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या- 385/USDMA/792/(2020), दिनांक 2 जुलाई, 2020 में निम्नलिखित प्रावधानों को समावेशित करते हुए निम्नवत निर्देश पारित किये जाते हैं:-

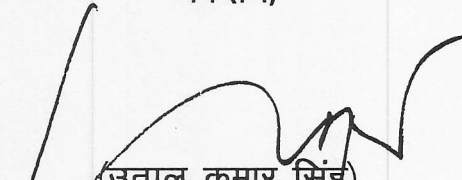
1. All inbound persons from other states, irrespective of the mode of travel, shall mandatorily register themselves on the Smart City web portal <http://smartcitydehradun.uk.gov.in>, prior to their travel. Though no permit/ permission shall be required for such movement, the registration documents shall necessarily be verified at the border check posts.
2. All inbound asymptomatic persons, who have undergone RT-PCR test from ICMR authorised lab not earlier than 72 hours from the time of arrival, reflecting Covid-19 negative report, shall be permitted to enter the State without any restrictions. Such persons shall also be exempted from being quarantined.
- 2.1. However, all such inbound persons who have undergone RT-PCR test, as specified in para 2, shall also necessarily upload their medical report on the given web portal (<http://smartcitydehradun.uk.gov.in>). The district authorities shall ensure proper verification of medical reports of the concerned persons at the border check posts at the time of entry.

3. There shall be an upper limit of 1500 persons per day (excluding people coming by train and plane) for all inbound persons travelling to the state without undergoing RT-PCR tests. In exceptional circumstances, DMs will be authorized to issue around 50 permits, over and above this limit, to persons in distress.
 - 3.1. Such persons can be randomly tested for Covid-19 at the border check posts. If found positive, it shall be the responsibility of the concerned District Administration, in coordination with the Health authorities, to follow protocols as laid down by MoHFW and State Government.
 - 3.2. Further, paras 4.3 and 4.4 of the G.O. no-385/USDMA/792(2020), dated 2nd July, 2020 shall also be applicable for such inbound persons.
 - 3.3. All inbound tourists and persons mentioned in paras 4.4.2, 4.4.5 and 4.4.6 of the G.O. no-385/USDMA/792(2020), dated 2nd July, 2020 shall not be included in the upper limit of 1500 persons per day.
 - 3.4. Para 4.4.2 of the G.O. no-385/USDMA/792(2020), dated 2nd July, 2020 is amended to the extent that all inbound asymptomatic workers, employees, experts/ consultants and suppliers shall be allowed only after showing the authorization letter by the concerned agencies at the border check posts.
4. There shall be complete lockdown on Saturdays and Sundays in the districts of Dehradun, Haridwar, U.S.Nagar and Nainital, except for essential services including operations of industrial units in multiple shifts, agricultural and construction activities, liquor shops, hotels, movement of persons and vehicles associated with these activities, movement of goods on National and State highways, loading and unloading of cargo and travel of persons to their destinations after disembarking from buses, trains and airplanes.

अतः सभी सम्बन्धित उपरोक्त समस्त निर्देशों के साथ-साथ गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-40-30/2020-DM-I (A), दिनांक 29 जून, 2020 तथा राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश संख्या- 385/USDMA/792(2020), दिनांक 2 जुलाई, 2020 के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा।

भवदीय,


(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्या: 447/USDMA/792(2020) एवं तद्दिनांकित।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
4. महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद), विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
7. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित पत्रावली।

(उत्पल कुमार सिंह)

मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी